न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 134 सन 2020

अनवान :–

1. हरदेई पुत्री किशनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. जयसिंह पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायला
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 23/7/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा लाखासर के साबिका खसरा न0 80 की 90.09 बीघा भूमि व साबिका खसरा न0 114 की 21.12 बीघा भूमि कुल 112 बीघा 1 बिश्वा भूमि थी जिसके 1/3 हिस्सा के नत्थुराम पुत्र तेजाराम खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा लाखासर की गत पैमाईश में उक्त साबिका खसरा नम्बर के हाल खसरा न0 218 ,219 ,220 व 364 में परिर्वतन एव पैमुद हुए।

रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 344/328 के खसरा न0 218 की 6.9300हैक व खसरा न0 219 की 2.8330हैक खसरा न0 220 की 13.152हैक खसरा न0 364/2 की 6.0960हैक कुल 29.0110हैक भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 5.818हैक व गैरसायल न0 2 के नाम 5.818हैक कुल 11.636हैक भूमि गैरसायल ने अनुचित तोर से अपने नाम दर्ज करवा ली।

वाद भूमि मुश्तरका हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है उक्त भूमि में सायला के पिता किशनाराम ने अपने अकेले के कर्ता खानदान होने से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जिसके वे खातेदार काश्तकार थे चुकि उक्त भूमि सायला के पिता के नाम दर्ज थी गैरसायल न0 1 ,2 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है जबकि किशनाराम भोला व्यक्ति था उन्होने किशनाराम से अपने पक्ष में तथाकथित दानपत्र तहरीर करवा लिया तथा वाद भूमि अपने अकेलो के नाम कतई अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में किशनाराम का 1/9 हिस्सा ही था उन्होने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दानपत्र करने का अधिकार नही था।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है तथा वाद भूमि में किशनाराम की मृत्यू पश्चात सायला 1/9 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है चुकि सायला के पिता द्वारा पूर्व में तथाकथित दानपत्र हक व हिस्से से अधिक होने से शुरू से शुन्य है क्योकि वाद भूमि पैतृक है इसलिये वाद भूमि में सायला का 1/9 हिस्सा व गैरसायलान0 1 ,2 का 2/9 हिस्सा तथा दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवाी संख्या 4 ता 9 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है सायला गैरसायल न0 1 ,2 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वाद भूमि तदानुसार हक व हिस्से के दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसी आश्य की धोषणा करवाने की अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 ,2 ने अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज रहने के कारण अन्यत्र रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0. 1 ,2 राजस्व रिकार्ड में हक से ज्यादा दर्ज भूमि का रहन बेय कर देते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है एवं सायला एवं गैरसायल न0 4 ता 9 अपने हकों से महरूम हो जावेगे इसलिये सायला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान संख्या 1 ,2 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि गैरसायल न0 1 ,2 वाद भूमि को अन्यत्र रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तिकल नही करे।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 344/328 की कुल 29.0110हैक में से प्रतिवादी संख्या के नाम दर्ज 5.818है व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 5.818हैक भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तिकिल नही करे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया एवं गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की ।

रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 344/328 के खसरा न0 218/6.9300हैक व खसरा न0 219 की 2.8330हैक व खसरा न0 220 की 13.152हैक व खसरा न0 363/2 की 6.0960हैक कुल 29.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

0110हैक भूमि में से 11.636हैक भूमि का किशनाराम वल्द नत्थुराम खातेदार काश्तकार था तथा किशनाराम ने अपनी खातेदारी भूमि स्नेह कायम रखने हेतु 5.818हैक गैरसायल न0 1 व 5.818हैक भूमि गैरसायल न0 2 को दिनांक 25.2.2016 को जरिये दानपत्र रजिस्ट्रड करवा दी तथा गैरसायल न0 1 उतरदाता दानपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है तथा उक्त दानपत्र से सायला व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण सहमत है उक्त दानपत्र का सायला को शुरू से ज्ञान था लालचवंश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दानपत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर गैरसायल न0. 1 ,2 के नाम नामान्तकरण दर्ज हो चुका है एवं गैरसायल 1 ,2 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

सायला ने दानपत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के सम्बध में धोषणा चाही है जो दानपत्र के निरस्त करवाये बगैर नही हो सकती दानपत्र निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है अर्थात सायला का प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है।

सायला का प्रार्थना पत्र आधारहीन है ऐसी आधारहीन प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को तुलनात्मक अधिक नुकसान होता है सायला के अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित नही होते है सायला के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया जाता है सायला को अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का विधि से वर्जित है केवल सायला ने प्रार्थना पत्र गैरसायलान को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज फरमावे। जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के साबिका खसरा न0 80 की 90.09 बीधा भूमि व साबिका खसरा न0 114 की 21.12 बीधा भूमि कुल 112 बीधा 1 बिश्वा भूमि थी जिसके 1/3 हिस्सा के नत्थुराम पुत्र तेजाराम खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा लाखासर की गत पैमाईश में उक्त साबिका खसरा नम्बर के हाल खसरा न0 218 ,219 ,220 व 364 में परिर्वतन एव पैमुद हुए।

रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 344/328 के खसरा न0 218 की 6.9300हैक व खसरा न0 219 की 2.8330हैक खसरा न0 220 की 13.152हैक खसरा न0 364/2 की 6.0960हैक कुल 29.0110हैक भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 5.818हैक व गैरसायल न0 2 के नाम 5.818हैक कुल 11.636हैक भूमि गैरसायल ने अनुचित तोर से अपने नाम दर्ज करवा ली।

वाद भूमि मुश्तरका हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है उक्त भूमि में सायला के पिता किशनाराम ने अपने अकेले के कर्ता खानदान होने से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जिसके वे खातेदार काश्तकार थे चुकि उक्त भूमि सायला के पिता के नाम दर्ज थी गैरसायल न0 1 ,2 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है जबकि किशनाराम भोला व्यक्ति था उन्होने किशनाराम से अपने पक्ष में तथाकथित दानपत्र तहरीर करवा लिया तथा वाद भूमि अपने अकेलो के नाम कतई अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में किशनाराम का 1/9 हिस्सा ही था उन्होने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दानपत्र करने का अधिकार नही था।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है तथा वाद भूमि में किशनाराम की मृत्यू पश्चात सायला 1/9 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है चुकि सायला के पिता द्वारा पूर्व में तथाकथित दानपत्र हक व हिस्से से अधिक होने से शुरू से शुन्य है क्योकि वाद भूमि पैतृक है इसलिये वाद भूमि में सायला का 1/9 हिस्सा व गैरसायलान0 1 ,2 का 2/9 हिस्सा तथा दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवी संख्या 4 ता 9 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है सायला गैरसायल न0 1 ,2 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वाद भूमि तदानुसार हक व हिस्से के दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसी आश्य की धोषणा करवाने की अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 ,2 ने अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज रहने के कारण अन्यत्र रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0. 1 ,2 राजस्व रिकार्ड में हक से ज्यादा दर्ज भूमि का रहन बेय कर देते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है एवं सायला एवं गैरसायल न0 4 ता 9 अपने हकों से महरूम हो जावेगे इसलिये सायला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान संख्या 1 ,2 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि गैरसायल न0 1 ,2 वाद भूमि को अन्यत्र रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तिकल नही करे। सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 344/328 के खसरा न0 218/6.9300हैक व खसरा न0 219 की 2.8330हैक व खसरा न0 220 की 13.152हैक व खसरा न0 363/2 की 6.0960हैक कुल 29.0110हैक भूमि में से 11.636हैक भूमि का किशनाराम वल्द नत्थुराम खातेदार काश्तकार था तथा किशनाराम ने अपनी खातेदारी भूमि स्नेह कायम रखने हेतु 5.818हैक गैरसायल न0 1 व 5.818हैक भूमि गैरसायल न0 2 को दिनांक 25.2.2016 को जरिये दानपत्र रजिस्ट्रड करवा दी तथा गैरसायल न0 1 उतरदाता दानपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है तथा उक्त दानपत्र से सायला व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण सहमत है उक्त दानपत्र का सायला को शुरू से ज्ञान था लालचवंश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दानपत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर गैरसायल न0. 1 ,2 के नाम नामान्तकरण दर्ज हो चुका है एवं गैरसायल 1 ,2 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

सायला ने दानपत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के सम्बध में घोषणा चाही गई है जो दानपत्र के निरस्त करवाये बगैर नही हो सकती दानपत्र निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है अर्थात सायला का प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है।

सायला का प्रार्थना पत्र आधारहीन है ऐसी आधारहीन प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को तुलनात्मक अधिक नुकसान होता है सायला के अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित नही होते है सायला के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया जाता है सायला को अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का विधि से वर्जित है केवल सायला ने प्रार्थना पत्र गैरसायलान को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज फरमावे अधिवक्ता गैरसायल न0 1 ने अपने कथनों समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरआरजे 2018 पेज 499 , आरआरजे वर्ष 2018 पेज 504 ,आरआरजे वर्ष 2016 पेज 709 , आरआरडी वर्ष 1974 पेज 446 , आरआरडी वर्ष 1992 पेज 640 ,532 पेश किये गये ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही दानपपत्र हको से अधिक भूमि का किया गया है अथवा हको के अनुसार किया गया है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 344/328 के खसरा न0 218/6.9300हैक्ट व खसरा न0 219 की 2.8330हैक्ट व खसरा न0 220 की 13.152हैक्ट व खसरा न0 363/2 की 6.0960हैक्ट कुल 29.0110हैक्ट भूमि में से 11.636हैक्ट मे से गैरसायल न0 1 के नाम 5.818हैक्ट , गैरसायल न0 2 के नाम 5.818हैक्ट भूमि बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो किशनाराम के द्वारा किये गये दानपत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर दर्ज हुई है अर्थात सविधा सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षो के पक्ष में सामान रूप से पाया जाता है।

सायला का कथन है कि दिनांक 25.02.2016 को करवाया गया दानपत्र किशनाराम ने अपने हकों से अधिक भूमि का करवाया गया है क्योकि पैतृक सम्पति थी जिसमें सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 का भी हक हिस्सा है सायला के उक्त कथनो के विरोध में गैरसायल न0 1 का कथन है दानपत्र सही तौर से करवाया गया है जिसका ज्ञान सायला का था व अपने कथनों के समर्थन में सहमति पत्र पेश किया गया गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत किये गये सहमति पत्र के अवलोकन से पाया की सहमति पत्र पर सायला के हस्ताक्षर या सहमति नही है तथा गैरसायल न0 2 ने सायला के कथनो को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया गया है जिसमें सायला का हक हिस्सा वाद भूमि में होना स्वीकार किया है एवं सायला को दानपत्र का ज्ञान/सहमति होना प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होती है।

किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि जिसका दानपत्र दिनांक 25.02.2016 को गैरसायल न0 1 ,2 के पक्ष में करवाया गया था वह भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार किशनाराम को उनके पूर्वजो के देहान्त होन पर विरास्तन से प्राप्त होनी प्रतीत होती है।

यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की किशनाराम को विरास्तन से प्राप्त भूमि में सायला का कोई हक हिस्सा बनता है या नही एवं किशनाराम के द्वारा करवाया गया दानपत्र दिनांक 25.02.2016 विधि अनुरूप हको के अनुसार करवाया गया है या हको से अधिक भूमि का करवाया गया।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके कारण वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है गैरसायलान के द्वारा वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल किया जाता है अपूर्णीय क्षति सायला को हो सकती है इसलिये जब तक वाद में सायला के हको का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी उचित है। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त मुख्यतः रिकार्डेड टिनेट के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा एवं स्व अर्जित भूमि से संबंधित है जो उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सुविधा का सन्तुलन प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायलान से अधिक सायला के पक्ष में होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 01.10.2020 को जारी की अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कर्न्फम किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
नोहर(उपखण्ड अधिकारी)
नोहर

Scanned with CamScanner